क्रम-संख्या —148

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 जून, 2001

ज्येष्ठ 18, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1234/सत्रह–वि०-1—1(क)-20-2001

लखनऊ, 8 जून, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 7 जून, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 का सामान्य संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,—

(क) शब्द "नगर महापालिका", "म्यूनिस्पल बोर्ड", "गांव सभा", "गांव सभाएं" और "क्षेत्र समिति" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "नगर निगम", "नगर पालिका परिषद्", "ग्राम पंचायत", ग्राम पंचायतें" और "क्षेत्र पंचायत" रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द "जिला परिषद" और "अन्तरिम जिला परिषद" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत" रख दिये जायेंगे।

(ग) शब्द "नोटीफाइड एरिया कमेटी" और "टाउन एरिया कमेटी" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगर पंचायत" रख दिये जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ठ–1) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;"

धारा 13 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में, खण्ड (आठ) में,—

(क) उपखण्ड (क) में शब्द "जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"जिनमें से एक,—

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का; और

(तीन) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो;

होगा; "

(ख) उपखण्ड (ख) में शब्द "जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"जिनमें से एक,—

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का;

(तीन) ऐसी महिला, जो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की हो; और

(चार) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो;

होगा; "

(ग) उपखण्ड (ग) में शब्द "जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"जिनमें से एक,—

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का;

(तीन) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की हो;

(चार) ऐसी महिला, जो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की हो;

(पांच) ऐसी महिला, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो;

होगा;"

(घ) उपखण्ड (घ) में शब्द "जिनमें से दो अनुसूचित जाति के होंगे" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"जिनमें से,–

(एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होगा;

(दो) दो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के होंगे;

(तीन)–दो ऐसी महिलाएं होंगी, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो;

(चार) एक ऐसी महिला होगी, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की हो;

(पांच) एक ऐसी महिला होगी, जो नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की हो;"

(ङ) वर्तमान परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।"

नई धारा 14-क और 14-ख का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:–

"14–क–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय-1 की धारा 123

भ्रष्ट आचरण

के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे।

14–ख–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय-3 की धारा 125, 126, 127, 127-क, 128, 129, 130, 131, 132, 132-क, 134, 134-क, 135, 135-क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो,–

निर्वाचन अपराध

(क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हो;

(ख) धारा 127-क में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में शब्द "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक" रख दिये गये हों;

(ग) धारा 134 और 136 में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 द्वारा या उसके अधीन" रख दिये गये हों;

(घ) धारा 135–क में,–

(एक) शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "सरकार, परिषद या किसी मण्डी समिति" रख दिये गये हों।

(दो) स्पष्टीकरण में शब्द "इस उपधारा और धारा 20–ख" के स्थान पर शब्द "इस धारा" रख दिये गये हों।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, राज्य में कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित करने के लिये अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम में मण्डी क्षेत्रों और मण्डी स्थलों की स्थापना करने की व्यवस्था की गयी है। मण्डी क्षेत्रों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन संघटित समिति में निहित है। उक्त समिति के कुछ सदस्य उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन निर्वाचित किये जाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 14 प्रथम समिति के सदस्यों को नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करती है। प्रथम समिति का कार्यकाल एक वर्ष होता है। प्रथम समिति के सदस्यों का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। 1972 में, मण्डी समितियों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थाई उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया गया। वर्ष 1972 के उक्त अधिनियम द्वारा उपबन्धित प्रणाली अभी भी प्रवर्तन में है और मण्डी समितियों के संघटन के लिए अभी तक कोई निर्वाचन नहीं कराया जा सका है। अब राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि मण्डी समितियों का संघटन किया जाय और उसके लिये निर्वाचन कराया जाय, किन्तु मण्डी समितियों के संघटन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसी समितियों में समाज के विभिन्न वर्गों का सम्यक प्रतिनिधित्व हो, अतः यह विनिश्चय किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों को सम्यक् प्रतिनिधित्व देने, और ऐसी समितियों के निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण को नियंत्रित करने, के लिये उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1234(2)/XVII-V-1—1 (KA)-20-2001

Dated Lucknow, June 8, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 7, 2001 :—

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2001

(U. P. Act No. 18 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.

General amendment of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam 1964, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) for the words "Nagar Mahapalika", "Municipal Board", "Gaon Sabha", "Gaon Sabhas" and "Kshetra Samiti," wherever occurring, the words "Municipal Corporation", "Municipal Council", "Gram Panchayat", "Gram Panchayats" and "Kshettra Panchayat", respectively shall be *substituted.*

(b) for the words "Zila Parishad" and "Antarim Zila Parishad", wherever occurring, the words "Zila Panchayat" shall be *substituted.*

(c) for the words "Notified Area Committee", "Town Area Committee", wherever occurring, the words "Nagar Panchayat" shall be *substituted.*

Amendment of section 2

3. In section 2 of the principal Act, *after* clause (1) the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(1-1) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 ;"

Amendment of section 13

4. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), in clause *(viii),*—

(a) in sub-clause *(a) for* the words "out of which one shall be of Scheduled Castes" the following words shall be *substituted,* namely :—

"out of which one shall be—

(i) of Scheduled Castes or Scheduled Tribes ;

(ii) of other backward classes of citizens; and

(iii) woman belonging to other than Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other backward classes of citizens";

(b) in sub-clause *(b) for* the words "out of which one shall be of Scheduled Castes" the following words shall be *substituted,* namely :—

"out of which one shall be,—

(i) of Scheduled Castes or Scheduled Tribes ;

(ii) of other backward classes of citizens ;

(iii) a woman belonging to other backward classes of citizens ; and

(iv) a woman belonging to other than Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other backward classes of citizens" ;

(c) in sub-clause *(c) for* the words "out of which two shall be of Scheduled Castes" the following words shall be *substituted,* namely :—

"out of which one shall be,—

(i) of Scheduled Castes or Scheduled Tribes ;

(ii) of other backward classes of citizens ;

(iii) a woman belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes ;

(iv) a woman belonging to other backward classes of citizens ;

(v) a woman belonging to other than Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other backward classes of citizens";

(d) in sub-clause *(d) for* the words "out of which two shall be of Scheduled Castes" the following words shall be *substituted,* namely :—

"out of which,—

(i) one shall be of Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(ii) two shall be of other backward classes of citizens;

(iii) two shall be women belonging to other than Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other backward classes of citizens;

(iv) one shall be a woman belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(v) one shall be a woman belonging to other backward classes of citizens";

(e) after the existing proviso, the following provisos shall be *inserted,* namely :—

"Provided further that the reservation of the seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this clause shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution".

Insertion of new sections 14-A and 14-B

5. *After* section 14 of the principal Act the following sections shall be *inserted,* namely :—

"14-A. The provisions of section 123 of Chapter I of part VII of the Representation of the People Act, 1951 shall *mutatis mutandis* apply in the election to a Mandi Samiti.

Corrupt practices

14-B. The provisions of sections 125, 126, 127, 127-A, 128, 129, 130, 131,132,132-A,134, 134-A, 135, 135-A and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951 shall have effect as if, —

Electoral offences

(a) the reference therein to an election were a reference to an election held under this Act;

(b) in section 127-A, in sub-section (2), in clause *(b),* in sub-clause *(i) for* the words 'Chief Electoral Officer' the words 'Director of Election' had been *substituted;*

(c) in sections 134 and 136, *for* the words 'by or under this Act' the words 'by or under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964' had been *substituted;*

(d) in section 135-A,—

(i) *for* the word 'government' the words 'Government, the Board or a Mandi Samiti' had been *substituted.*

(ii) in the explanation *for* the words 'this sub-section and section 20-B' the words, 'this section' had been *substituted."*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 was enacted to regulate the sale and purchase of the agricultural produce in the State. The said Act povides for the establishment of market areas and market yards. The supervision and control of market areas vest in a committee constituted under section 13 of the said Act. Some of the members of the said committee are elected under Clause (VIII) of sub-section (1) of section 13 of the said Act. Section 14 of the said Act empowers the State Government to appoint the members of the first committee. The term of the first committee is one year. The term of the members of the first committee was being extended from time to time in 1972, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972 was enacted to make temporary provisions regarding administration of Mandi Samitis.

The system provided by the said Act of 1972 is still in operation and no election to constitute the market committees could be held so far. The State Government has now decided to constitute the market committees and hold the elections therefor, but before the constitution of the market committees, it has to be ensured that various sections of the society are duly represented in such committees. In order to give due representation to various sections of the society and to curb the corrupt practices in the elections of the members of such committee, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Vidheyak, 2001 is introduced accordingly.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 54 सा० विधा०—2001—(435)—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।